INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP00688136503447V

VIKASH SHARMA
Lic. No [illegible]
Teh Dadri (G.B. Nagar)

Certificate No.	:	IN-UP00688136503447V
Certificate Issued Date	:	29-Aug-2023 01:53 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14044804/ DADRI/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1404480495743681750382V
Purchased by	:	KESHAV MADHAV SHIKSHAN SANSTHAN
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KESHAV MADHAV SHIKSHAN SANSTHAN
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	KESHAV MADHAV SHIKSHAN SANSTHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

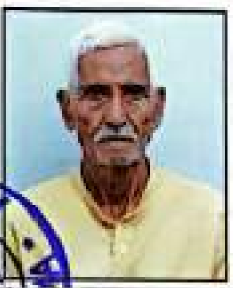

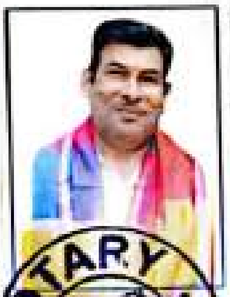

NOTARY
G.B. NAGAR
Reg. No. [illegible]
GOVT. OF INDIA

Please write or type below this line

NOTARY
G.B. NAGAR
Reg. No. [illegible]
GOVT. OF INDIA

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

CS CamScanner

प्रारूप- अ

हम राधेश्याम शर्मा (अध्यक्ष) एवं श्रीचन्द शर्मा (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव केशव माधव शिक्षण संस्थान (ट्रस्ट) धूम मानिकपुर, दादरी गौतम बुद्ध नगर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा केशव माधव इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मेसी, ग्रेटर नॉएडा नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम ग्राम- धूम मानिकपुर, ग्रेटर नॉएडा में गाटा संख्या 991 /992एवं 1157 रकबा क्रमश .3855 एवं .334 हेक्टेयर (कुल रकबा .4189 हेक्टेयर भूमि) है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 991/992 (कुल रकबा.3855 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 23/01/2019 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

NOTARY
GOVT. OF INDIA

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी परिषद / विश्वविद्यालय अन्य द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

CamScanner

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY
CHANAKYA SINGH
G.B. NAGAR
Reg. No. 3404
GOVT. OF INDIA

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष

ATTESTED
29/3/2023

CHANAKYA SINGH
Advocate Notary
District (G.B.Nagar)

CamScanner